Regd. No. CHD/0093/2015–2017

# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 207-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 27, 2017 (AGRAHAYANA 5, 1939 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 27 नवम्बर, 2017

**संख्या एफ०जी० 3–120/2017/24617.**– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20), की धारा 40 की उपधारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, अधिसूचना संख्या एफ.जी. 3/120/2017/17601, दिनांक 5 सितम्बर, 2017 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् ;

**1.** (1) ये नियम हरियाणा खाद्य सुरक्षा नियम, 2017, कहे जा सकते है । संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

**2.** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20);

(ख) "अपीलार्थी" से अभिप्राय है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग में अपील दायर करने वाला कोई पक्षकार;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2009 के अधीन नियुक्त अनुज्ञप्ति अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारियों के मामलों में, किसी सम्बन्धित विभाग का प्रधान सचिव या सचिव या निदेशक जैसी भी स्थिति हो;

(घ) "विभाग" से अभिप्राय है, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा;

(ङ) "उपायुक्त" से अभिप्राय है, संबंधित जिले का उपायुक्त;

(च) "जिला शिकायत निवारण अधिकारी" से अभिप्राय है, धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त या पदाभिहित कोई अधिकारी;

(छ) 'नोडल अधिकारी' से अभिप्राय है, विभाग के मुख्यालय पर कोई अधिकारी, जो उप निदेशक की पदवी से नीचे का न हो, जिला स्तर पर जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक और खण्ड स्तर पर सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो;

(ज) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगें जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिये गये हैं।

प्राथमिक परिवार की पहचान।

**3.** (1) कोई व्यक्ति, जो अनुसूची–I में यथा अधिकथित पात्रता मापदण्ड को पूरा करता है, प्राथमिक परिवार के रूप में परिलक्षित होगा।

(2) पात्र परिवार, जब कभी उसके जिले में आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं, सम्बद्ध उपायुक्त या अपर उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अनुसूची–II के रूप में संलग्न प्रोफार्मा में आवेदन कर सकता है:

परन्तु मापदण्ड भारत सरकार द्वारा नियत सीमाओं के भीतर परिलक्षित प्राथमिक परिवार को सूकर बनाने तथा पंक्तिबद्ध करने के लिए रूपान्तरित किया जा सकता है।

आन्तरिक शिकायत निवारण मैकेनिज्म। धारा 14

**4.** (1) निशुल्क सहायता लाईन संख्या तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) पोर्टल से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक शिकायत नम्बर दिया जाएगा।

(2) उप निदेशक विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन ई–पी.डी.एस. पोर्टल के माध्यम से या इस सम्बन्ध में स्थापित टेलिफोनिक हैल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों की मॉनिटरिंग करेगा और निवारण के लिये उसे सम्बद्ध नोडल अधिकारी को अग्रेसित करेगा।

(3) सम्बद्ध नोडल अधिकारी द्वारा तथ्यों के सत्यापन के बाद, वह इसके निवारण के लिये उपचारित कार्रवाई प्रस्तावित करेगा और शिकायतकर्ता को रीति के बारे में जिसमें शिकायत का निवारण किया गया है, शिकायत की प्राप्ति के तीस दिन के अवधि के भीतर लिखित में या ई–मेल या दूरभाष के माध्यम से सूचित करेगा।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी। धारा 15.

**5.** (1) उपायुक्त, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कृत्य करेगा।

(2) प्रत्येक जिले के सम्बन्ध में पता, दूरभाष नम्बर, ई–मेल पता, फसिमाईल नम्बर विभाग के प्रत्येक कार्यालय, उचित मूल्य की दुकान, विद्यालय, आंगनवाड़ी, अन्य सार्वजनिक स्थान, वैबसाईट के साथ–साथ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शित किया जायेगा।

शिकायतों के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया। धारा 15.

**6.** (1) अधिनियम के अध्याय II के अधीन खाद्यान्न या आहार की हकदारी के वितरण से संबधित मामलों में कोई व्यथित व्यक्ति, अपनी शिकायत लिखित में या ई–मेल के माध्यम से या शिकायत बक्से में शिकायत डालते हुए, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय में, चयनित उचित मूल्य की दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, आंगनवाड़ी इत्यादि में लगाया जाएगा, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास दायर तथा रजिस्टर करवा सकता है।

(2) शिकायतें शिकायतकर्ता के विशिष्ट ब्योरों तथा सम्पर्क सूचना सहित दायर की जाएगी। कोई भी गुमनाम शिकायत ग्रहण नहीं की जाएगी।

शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया। धारा 15.

**7.** (1) यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है, तो वह सम्बन्धित दस्तावेजों सहित सम्बद्ध अधिकारियों या अभिकरण (भारतीय खाद्य निगम, कान्फैड, हैफेड, हरियाणा भण्डारण निगम, डिपुधारक और आंगनवाड़ी इत्यादि), जिनके विरूद्ध शिकायत की गई है, से स्पष्टीकरण मांगेगा। अपेक्षित स्पष्टीकरण तथा दस्तावेज, सम्बद्ध अधिकारी या अभिकरण जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है, द्वारा नोटिस की प्राप्ति के सात दिन के भीतर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) शिकायत में किए गए दावों पर पक्षकारों के बीच असहमति के निष्कपट आधारों के मामलें में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी सुनवाई की तिथि, समय तथा स्थान नियत करते हुए मामलें में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा। अधिकारी पक्षकारों के अनुरोध पर या स्वप्रेरणा से कार्यवाही लागत सहित या रहित किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित कर सकता है।

(3) सुनवाई के लिए नियत तिथि को, जिला शिकायत निवारण अधिकारी पक्षकारों को सुनेगा तथा साक्ष्य अभिलिखित करेगा। पक्षकारों की सुनवाई के बाद तथा साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा:

परन्तु यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाई की तिथि को शिकायतकर्ता गैरहाजिर है, तो वह शिकायत खारिज कर सकता है। तथापि, यदि उस द्वारा नियत तिथि को बचाव पक्षकार गैरहाजिर है, तो वह मामलें में एकपक्षीय जांच के लिए अग्रसर हो सकता है तथा तदानुसार निर्णय कर सकता है।

(4) शिकायतकर्ता को लिखित में या इलेक्ट्रोनिक ढंग में निर्णय की सूचना दी जायेगी।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी की शक्तियां। धारा 15.

**8.** (1) शिकायतों की जांच करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी को किसी व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा करने की शक्तियां होगी,–

(क) व्यक्तियों, इस प्रकार अपेक्षित, जो मांग में विनिर्दिष्ट की जाएं, की अभिरक्षा में या के नियन्त्रणाधीन ऐसी पुस्तकों, लेखों, दस्तावेजों या कोई अन्य सामग्री को उसके समक्ष प्रस्तुत करने तथा उसकी जांच अनुज्ञात करने;

(ख) ऐसी सूचना प्रस्तुत करने, जो अपेक्षित हो।

(2) शिकायत का निर्णय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के विरूद्ध हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2009 के अनुसार तथा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के अनुसार सम्बद्ध विभाग के कर्मचारी के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है, यदि वह जिम्मेवार पाया जाता है।

शिकायतों के निपटान की मानीटरिंग। धारा 15.

**9.** निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, अधिमान्यत पूर्ववर्ती मास के सातवें दिन तक मासिक आधार पर शिकायतों के निपटान की मानीटरिगं करेगा और पूर्ववर्ती मास के पन्द्रहवें दिन तक राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट अग्रेसित करेगा।

मासिक रिपोर्ट। धारा 15.

**10.** जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा प्राप्त तथा निपटाई गई शिकायतों की मासिक रिपोर्ट पूर्ववर्ती मास के 15वें दिन तक राज्य सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, भारत सरकार को सम्पूर्ण रिपोर्ट के रूप में राज्य की समेकित मासिक रिपोर्ट भेजेगी।

अपील की प्रक्रिया। धारा 15 (7)

**11.** (1) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य आयोग को सम्बोधित करते हुये व्यक्तिगत रूप में या पंजीकृत डाक द्वारा राज्य आयोग को अपील का ज्ञापन दायर कर सकता है।

(2) अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की सत्यापित प्रति और ऐसे अन्य दस्तावेज, जो ज्ञापन में वर्णित आक्षेप के समर्थित आधार के लिये अपेक्षित हों, संलग्न किये जायेंगे।

(3) जब समयावधि की समाप्ति के बाद अपील दायर की जाती है, तो ज्ञापन के साथ तथ्य, जिन पर आवेदक राज्य आयोग की संतुष्टि के लिये निर्भर है, कथित करते हुये शपथपत्र से समर्थित आवेदन संलग्न किया जाएगा कि उसके पास समय अवधि में अपील न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(4) पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं को सुनवाई की तिथि को या किसी अन्य दिन, जिसको सुनवाई स्थगित की जा सकती है, को राज्य आयोग के समक्ष हाजिर होना बाध्यकारी होगा। यदि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसी तिथि को हाजिर होने में असफल रहता है, तो राज्य आयोग अपने विवेक से या तो अपील खारिज कर सकता है या मामले का निर्णय मैरिट पर कर सकता है। यदि प्रतिवादी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसी तिथि को हाजिर होने में असफल रहता है, तो राज्य आयोग एकपक्षीय कार्रवाई करेगा और मामले का निर्णय मैरिट पर एकपक्षीय करेगा।

(5) अपीलार्थी, राज्य आयोग की अनुमति के सिवाए, ज्ञापन में कथित नहीं किए गए आक्षेप के किसी आधार के समर्थन में अनुरोध नहीं करेगा या सुना नहीं जाएगा किन्तु राज्य आयोग, अपील का निर्णय करने में इस नियम के अधीन ज्ञापन में बताए गए या राज्य आयोग द्वारा अस्वीकार किए गऐ आक्षेपों के आधारों को परिसीमित नहीं करेगा :

परन्तु आयोग का अपना निर्णय किसी अन्य आधार पर तब तक आधारित नहीं होगा जब तक पक्षकार, जो उससे प्रभावित है, को राज्य आयोग द्वारा सुनवाई का कम से कम एक अवसर नहीं दिया गया हो।

रिकार्ड का रख–रखाव। धारा 16

**12.** राज्य आयोग सभी रिकार्ड रखेगा जिसमें उनके निपटान से सम्बन्धित अपीलें तथा रिकार्ड शामिल होंगे।

मोहन तथा लोगों। धारा 16.

**13.** राज्य आयोग की मोहर तथा लोगो ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

पुनरीक्षण तथा मॉनीटरिंग। धारा 16.

**14.** राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। विभाग का प्रशासकीय सचिव, नियमित अन्तरालों पर राज्य आयोग के कार्यों का पुनरीक्षण करेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य से सम्बन्धी रिकार्ड। धारा 27 तथा 28.

**15.** (i) राज्य में पात्र लाभार्थियों तथा खाद्यान्नों के आंबटन की सभी सूचियां राज्य सरकार द्वारा अपनी वैबसाईट पर नियमित रूप से अद्यतन की जाएंगी;

(ii) विभाग पांच सदस्यों, जिनमें एक सदस्य अनुसूचित जाति, एक पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित होगा तथा एक महिला होगी, से मिलकर बनने वाली समिति का गठन करते हुये सम्बद्ध ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में दो बार उचित मूल्य की दुकानों के कार्यों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सामाजिक लेखापरीक्षा कराएगी। शहरी क्षेत्र में समिति उसी प्रकार सम्बन्धित नगर परिषद/समिति/निगम द्वारा गठित की जाएगी।

सतर्कता समितियों की संरचना। धारा 29.

**16.** राज्य, जिला, खण्ड तथा उचित मूल्य की दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों की संरचना अनुसूची–III के अनुसार होगी।

## अनुसूची– I

*{देखिए नियम 3(1)}*

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन प्राथमिक परिवार की पहचान के लिए पात्रता मापदण्ड**

| क्रम संख्या | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अन्त्योदय अन्न योजना(ए.ए.वाई.) परिवार भारत सरकार की वर्तमान स्कीम के अनुसार स्वतः शामिल (कवर्ड) होंगे। | अन्त्योदय अन्न योजना(ए.ए.वाई.) परिवार भारत सरकार की वर्तमान स्कीम के अनुसार स्वतः शामिल (कवर्ड) होंगे। |
| 2. | सभी गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवार प्राथमिक परिवारों में स्वतः शामिल (कवर्ड) होंगे। | सभी गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवार प्राथमिक परिवारों में स्वतः शामिल (कवर्ड) होंगे। |
| 3. | सभी बेघर परिवार | कच्चे घरों में रहने वाले सभी परिवार या सभी बेघर परिवार |
| 4. | ऐसे परिवार जिनके परिवार का मुखिया अशक्त व्यक्ति है। | ऐसे परिवार जिनके परिवार का मुखिया अशक्त व्यक्ति है। |
| 5. | किसी विधवा या एकल महिला (अविवाहित/पृथक/परित्यक्त) मुखिया वाले सभी परिवार | किसी विधवा या एकल महिला (अविवाहित/पृथक/परित्यक्त) मुखिया वाले सभी परिवार |
| 6. | भूमिहीन कृषि श्रमिकों के सभी परिवार | व्यावसायिक रूप से नाजुक परिवार जहां आमदनी का मुख्य स्रोत इन व्यावसायों में से एक या अधिक हैं जैसे सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर (भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र या बोर्डों/निगमों/उद्यमों/उपक्रमों अन्य स्वायत निकायों/प्राधिकरणों जैसे विश्वविद्यालय आदि, नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका समिति, सुधार न्यास इत्यादि) के संविदात्मक/वर्क चार्जड/दैनिक मजदूर<br>• कूड़ा उठाने वाले<br>• भीखमंगे<br>• घरेलू कर्मकार<br>• गली विक्रेता/मोची/फेरीवाला/गलियों में कार्य करने वाले अन्य सेवा प्रबन्धक<br>• निर्माण कर्मकार/नलसाज/चिनाई मिस्त्री/ श्रमिक/पेन्टर/वेल्डर/सुरक्षा गार्ड/ कुली/सिर पर भार उठाने वाले कर्मकार<br>• स्वीपर/सप्लाई कर्मचारी/माली<br>• गृह–आधारित कर्मकार/कारीगर/दस्तकारी कर्मकार/दर्जी<br>• प्राईवेट परिवहन कर्मकार/चालक/परिचालक/चालकों तथा परिचालकों के सहायक/छकड़ा चलाने वाले/रिक्शा चालक इत्यादि |

| | | |
|---|---|---|
| | | • दुकान कर्मकार / सहायक / लघु स्थापनाओं में सेवादार / सहायक / डिलीवरी सहायक / परिचर / वेटर<br>• इलैक्ट्रीशियन / मैकेनिक / पलम्बर / मुरम्मत कर्मकार<br>• धोबी / चौंकीदार<br>• किसी स्रोत से आमदनी न होने वाले व्यक्ति<br>• अन्य जो राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं |
| 7. | लघु तथा सीमान्त किसानों के सभी परिवार (दो एकड़ तक भूमि के स्वामी) | |
| 8. | व्यावसायिक रूप से नाजुक परिवार जहां आमदनी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित व्यवसायों में से एक या अधिक हैः–<br>• कृषि<br>• हस्त आकस्मिक श्रमिक<br>• अंशकालिक या पूर्ण कालिक घरेलू सर्विस<br>• खाना ढूंढने वाले, कूड़ा चुनने वाले<br>• गैर–कृषक अपना एकाउंट उद्यम<br>• भीख मांगना / दान / भिक्षा संग्रहण<br>• अन्य जो राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा विर्निदिष्ट किए जाएं। | |
| | **निम्नलिखित के सिवाएः–**<br>1. सभी आयकर देने वाले<br>2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन पंजीकृत सभी माल और कर निर्धारिती<br>3. सभी सेवाकर देने वाले<br>4. कर देने वाले सभी व्यावसायिक<br>5. किसी प्रकार की दो एकड़ से अधिक भूमि वाले सभी परिवार<br>6. चार पहिया मोटर रखने वाला कोई परिवार<br>7. कोई परिवार जो राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार से रजिस्टर्ड उद्यम (उद्यमों) का स्वामी है / चलाता है।<br>8. कोई परिवार जिसके पास मैकेनाईज्ड चार पहिया कृषि उपकरण है।<br>9. भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्रों या बोर्डों / निगमों / उद्यमों / उपक्रमों अन्य स्वायत निकायों / प्राधिकरणों जैसे विश्वविद्यालय आदि, नगर निगम, नगर परिषद, नगपालिका समिति, सुधार न्यास इत्यादि के सभी कर्मचारी।<br>10. सभी साधनों से एक लाख रूपए से अधिक की वार्षिक आमदनी वाला कोई परिवार<br>11. कोई ऐसा अन्य परिवार जिसे राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित मापदण्ड के अनुसार वर्जित किया जाए। | **निम्नलिखित के सिवाए :–**<br>1. सभी आयकर देने वाले<br>2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन पंजीकृत सभी माल और कर निर्धारिती<br>3. सभी सेवाकर देने वाले<br>4. कर देने वाले सभी व्यावसायिक<br>5. सौ वर्गगज से अधिक क्षेत्र के प्लाट पर निर्मित मकान रखने वाला कोई परिवार<br>6. एयर कन्डीशनर या चार पहिया मोटर वाला कोई परिवार<br>7. भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र या बोर्डों / निगमों / उद्यमों / उपक्रमों अन्य स्वायत निकायों / प्राधिकरणों जैसे विश्वविद्यालय आदि, नगर निगम, नगर परिषद, नगपालिका समिति, सुधार न्यास इत्यादि के सभी कर्मचारी।<br>8. सभी साधनों से एक लाख रूपये से अधिक की वार्षिक आमदनी वाला कोई परिवार<br>9. कोई ऐसा अन्य परिवार जिसे राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित मापदण्ड के अनुसार वर्जित किया जाए। |

## अनुसूची–II

*{देखिए नियम 3(2)}*

## प्राथमिक परिवारों की सूची में शामिल होने हेतु स्वयं घोषणा फार्म राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

परिवार के मुखिया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन हरियाणा राज्य में प्राथमिक परिवारों में परिवार को शामिल करने के लिए दिए जाने वाला घोषणा फार्म।

मैं..................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमति..................................निवासी.......................................................... मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि:–

(i) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है।

(ii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम 19) के अधीन निर्धारिती कर दाता के रूप में पंजीकृत नहीं है।

(iii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य सेवा कर दाता नहीं है।

(iv) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य व्यवसायिक कर दाता नहीं है।

(v) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य दो एकड से अधिक भूमि का स्वामी नहीं है।

(vi) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य चौपहिया मोटर वाहन (जैस कार, वैन, फोरव्हीलर, ट्रक इत्यादि) का स्वामी नहीं है।

(vii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत किसी भी उद्यम का स्वामी या संचालक नहीं है।

(viii) मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या परिषद/सहकारिता/फर्म/उपक्रम आदि, स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका या सुधार न्यास इत्यादि का कर्मचारी नहीं है।

(ix) सभी मदों से मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय एक लाख रूपऐ से अधिक नहीं है।

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दिए गए सभी तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं, तो मैं किसी विधिक कार्रवाई के लिए दायी हूँगा/हूँगी। मैं यह घोषणा भी करता हूँ/करती हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित जुमार्ने/ब्याज सहित उत्पाद/सहायता का बाजार मूल्य वापस करने के लिए दायी हूँगा/हूँगी। भविष्य में, यदि मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपात्र बन जाता है, तो मैं जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक को समय पर सूचित करने के लिए बाध्य हूँगा/हूँगी और ऐसी योजनाओं के अधीन दिए जाने वाला कोई लाभ प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान : ...................................... हस्ताक्षर ..............................................

दिनांक : .................................... नाम : ................................................

## (शहरी क्षेत्र हेतु)

मैं...................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमति.........................निवासी............................................................ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से घोषण करता हूँ/करती हूँ कि:–

(i) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है।

(ii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम 19) के अधीन निर्धारिती कर दाता के रूप में पंजीकृत नहीं है।

(iii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य सेवा कर दाता नहीं है।

(iv) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य व्यवसायिक कर दाता नहीं है।

(v) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य दो एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी नहीं है।

(vi) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य नगर निगम या नगर परिषद के अधीन एक सौ वर्ग गज या इससे अधिक क्षेत्रफल में बने किसी भी प्लॉट/फलैट का स्वामी नहीं है।

(vii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य वातानुकूलक (ए.सी.) का स्वामी नहीं है।

(viii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य चौपहिया मोटर वाहन (जैस कार, वैन, जीप, फोरव्हीलर, ट्रक इत्यादि) का स्वामी नहीं है।

(ix) मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या परिषद/सहकारिता/फर्म/उपक्रम इत्यादि, स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका या सुधार न्यास इत्यादि का कर्मचारी नहीं है।

(x) सभी मदों से मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं है।

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दिए गए सभी तथ्य मेरे सवोत्तम ज्ञान पर आधारित है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि दिये गये उपरोक्त तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं, तो मैं किसी विधिक कार्रवाई के लिए दायी हूँगा/हूँगी। मैं यह घोषणा भी करता हूँ/करती हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित जुमार्ने/ब्याज सहित उत्पाद/सहायता का बाजार मूल्य वापस करने के लिए दायी हूँगा/हूँगी। भविष्य में, यदि मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपात्र बन जाता है, तो मैं जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक को समय पर सूचित करने के लिए बाध्य हूँगा/हूँगी और ऐसी योजनाओं के अधीन दिए जाने वाला कोई लाभ प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान : .......................................        हस्ताक्षर .............................................

दिनांक : .....................................        नाम : ................................................

## अनुसूची–III

## सतर्कता समिति की संरचना

*(देखिए नियम 24)*

(i) **गांव/वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति**

| क्रम संख्या | ग्रामीण | क्रम संख्या | शहरी |
|---|---|---|---|
| 1. | सरपंच– अध्यक्ष | 1. | नगरपालिका पार्षद–अध्यक्ष(सम्बद्ध क्षेत्र) |
| 2. | अनुसूचित जाति पंच–सदस्य (यदि सरपंच अनुसूचित जाति वर्ग का है तो पंच दूसरी जाति का) | 2. | एक पुरूष तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य (एक विधवा तथा एक अशक्त अन्य प्राथमिक परिवार प्रवर्ग सदस्य) |
| 3. | एक पुरूष तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य (एक विधवा तथा एक अशक्त अन्य प्राथमिक परिवार प्रवर्ग सदस्य) | 3. | एक पुरूष तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य पिछड़े वर्ग प्रवर्ग (एक गरीबी रेखा से नीचे तथा एक अन्त्योदय अन्न योजना ) |
| 4. | एक पुरूष तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य (पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग (एक गरीबी रेखा से नीचे तथा एक अन्त्योदय अन्न योजना ) | 4. | एक पुरूष तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य, अनुसूचित जाति प्रवर्ग( एक गरीबी रेखा से नीचे तथा एक अन्त्योदय अन्न योजना ) |
| 5. | एक पुरूष तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य, अनुसूचित जाति प्रवर्ग (एक गरीबी रेखा से नीचे तथा एक अन्त्योदय अन्न योजना) | | |

(ii) **खण्ड स्तर समिति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ब्लाक समिति का निर्वाचित मुखिया– | अध्यक्ष |
| 2. | एक पुरूष तथा एक स्त्री–लाभार्थी, (एक अन्त्योदय अन्न योजना तथा एक गरीबी रेखा से नीचे) (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा नामांकित) | सदस्य |
| 3. | एक पुरूष तथा एक स्त्री लाभार्थी (एक अशक्त तथा एक विधवा, अन्य प्राथमिक परिवार प्रवर्ग) ( जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा नामांकित) | सदस्य |
| 4. | एक सामान्य तथा एक अनुसूचित जाति। दो में से एक स्त्री सदस्य हो ( जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा नामांकित) | सदस्य |
| 5. | प्रणाली समाकलक का प्रतिनिधि (ई–पी.ओ.एस. मशीन) | सदस्य |
| 6. | सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी | सदस्य–सचिव |
| 7. | खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी | विशेष आमन्त्रिती सदस्य |

**(iii) जिला स्तर समिति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | अपर उपायुक्त | सदस्य |
| 3. | दो सरपंच(उपायुक्त द्वारा नामांकित) | सदस्य |
| 4. | विभिन्न खण्डों से दो नगरपालिका पार्षद (उपायुक्त द्वारा नामांकित) | सदस्य |
| 5. | सात राशन कार्डधारक(कम से कम तीन महिलाएं) (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा नामांकित) प्रत्येक भिन्न खण्ड/नगर से (कम से कम एक विधवा तथा एक अशक्त, दो अन्य प्राथमिक परिवार/दो अन्त्योदय अन्न योजना/एक गरीबी रेखा से नीचे ) | सदस्य |
| 6. | उपभोक्ता मामलों के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्था (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा नामांकित) | सदस्य |
| 7. | पुरूष तथा स्त्री सामाजिक कार्यकर्ता (प्रत्येक एक) | सदस्य |
| 8. | प्रणाली समाकलक का प्रतिनिधि(ई–पी.ओ.एस. मशीन) | सदस्य |
| 9. | जिला प्रबन्धक, कॉन्फेड | सदस्य |
| 10. | जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक | सदस्य–सचिव |

**(iv) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले मंत्री, हरियाणा सरकार। | अध्यक्ष |
| 2. | प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग। | सदस्य |
| 3. | प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, महिला तथा बाल विकास विभाग। | सदस्य |
| 4. | प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग। | सदस्य |
| 5. | प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय विकास विभाग। | सदस्य |
| 6. | प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग। | सदस्य |
| 7. | महानिदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग। | सदस्य–सचिव |

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, चण्डीगढ़।

## HARYANA GOVERNMENT

FOOD, CIVIL, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

**Notification**

The 27th November, 2017

**No. FG-3-120/2017/24617.—** In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 40 of the National Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013), and with reference to Haryana Government, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, notification No. FG.- 3/120/2017/17601, dated the 5th September, 2017, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

Short title and commencement.

**1.** (1) These rules may be called the Haryana Food Security Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

**2.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the National Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013);

(b) **"appellant"** means a party which makes an appeal against the order of the District Grievance Redressal Officer;

(c) **"competent authority"** means Licensing Authority appointed under the Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2009, and the Principal Secretary or Secretary or Director of any of the concerned department, as the case may be, in case of Government officials;

(d) **"Department"** means Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana;

(e) **"Deputy Commissioner"** means Deputy Commissioner of the concerned district;

(f) **"District Grievance Redressal Officer"** means an officer appointed or designated under sub-section (1) of section 15;

(g) **"Nodal Officer"** means an officer not below the rank of Deputy Director at Head office of the Department, the District Food and Supplies Controller at district level and Assistant Food and Supplies Officer at block level, as the case may be;

(h) **"State Government"** means the Government of the State of Haryana in of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department;

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but in the Act shall have the same meaning as assigned to them respectively in the Act.

Identification of Priority Households. section 10

**3.** (1) Any person who fulfills the eligibility criteria as laid down in Schedule-I shall be identified as priority household.

(2) The eligible household may apply in the Proforma annexed as Schedule-II to the respective Deputy Commissioner or Additional Deputy Commissioner or any other officer, as authorized by the State Government, as and when applications are invited in their district:

Provided that the criteria may be modified to facilitate and align the identified priority households within the limits fixed by the Government of India.

Internal Grievance Redressal Mechanism. section 14

**4.** (1) Every complaint received through toll free helpline numbers and Public Distribution System (PDS) portal shall be given a unique complaint number.

(2) The Deputy Director shall monitor all the complaints received through online e-PDS portal available on the department's website or through the telephonic helpline setup in this regard and shall forward the same to the concerned Nodal Officer for redressal.

(3) After the verification of facts by the concerned Nodal Officer, he shall propose remedial action for its redressal and shall inform the complainant in writing or through e-mail or telephonically about the manner in which grievance has been redressed within a period of thirty days of the receipt of complaint.

District Grievance Redressal Officer. section 15

**5.** (1) The Deputy Commissioner shall function as District Grievance Redressal Officer.

(2) The address, telephone numbers, e-mail address, facsimile numbers in respect of each district shall be displayed at each office of the department, fair price shop, school, anganwaris, other public place, website as well as in the office of the District Grievance Redressal Officer.

Procedure for registering complaints. section 15

**6.** (1) Any aggrieved person in matters relating to distribution of entitled foodgrains or meals under Chapter-II of the Act may file and register his complaint with the District Grievance Redressal Officer in writing or through e-mail or by dropping their written grievance in grievance boxes, which shall be installed at the office of District Grievance Redressal Officer, selected fair price shops, and other public places such as schools, anganwaris etc.

(2) Complaints shall be filed with specific details and contact information of the complainant. No anonymous complaint shall be entertained.

Procedure for disposal of compliants. section 15

**7.** (1) If the District Grievance Redressal Officer is satisfied, he shall seek explanation in the matter from concerned officer or agency (Food Corporation of India, Confed, Hafed, Haryana Warehousing Corporation, Depot Holder and Aanganwari etc.) against whom complaint has been made, alongwith relevant documents. The requisite explanation and documents shall be furnished by the concerned officer or agency against whom complaint has been made, to the District Grievance Redressal Officer, within seven days of the receipt of notice.

(2) In the case of genuine grounds for disagreement between the parties on the claims made in the complaint, the District Grievance Redressal Officer shall issue notices to all parties in the matter fixing date, time and place for the hearing. The officer may also, at the request of the parties or suo moto, adjourn the proceedings to some other date with or without cost.

(3) On the date fixed for hearing, the District Grievance Redressal Officer shall hear the parties and record the evidence. After hearing the parties and taking into consideration the evidence, the District Grievance Redressal Officer shall pass suitable order within thirty days from the date of receipt of the complaint:

Provided that if, on the date of hearing fixed by the District Grievance Redressal Officer, the complainant is absent, he may dismiss the complaint. However, if, on the date fixed by him, the defending party is absent, he may proceed to enquire the matter ex-parte and decide accordingly.

(4) The complainant shall be informed of the decision on his complaint in writing or through electronic mode.

Power of District Grievance Redressal Officer. section 15

**8.** (1) The District Grievance Redressal Officer, while enquiring into complaints, shall have powers to require any person,-

(a) to produce before, and allow to be examined such books, accounts, documents or any other material in custody or under control of the persons so required, as may be specified in the requisition;

(b) to furnish such information, as may be required.

(2) While deciding a complaint, the District Grievance Redressal Officer may recommend the action to be taken by the competent authority against the fair price shop owner as per Haryana Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2009 and the employee of the Department concerned as per Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 2016, if found to be responsible, according to the provisions of these rules.

Monitoring the disposal of complaints. section 15

**9.** The Director, Food Civil Supplies and Consumer Affairs shall monitor the disposal of complaint on monthly basis preferably by the 7th day of preceding month and forward a report in this regard to the State Government by the 15th day of the preceding month.

**10.** A monthly report on complaints received and disposed off by the District Grievance Redressal Officer shall be sent to the State Government by 15th day of the succeeding month. State Government shall send a monthly consolidated report for the State as a whole to the Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution, Government of India, by the end of the succeeding month.

Monthly Report.
section 15

**11.** (1) Any person aggrieved by the decision of the District Grievance Redressal Officer may file a memorandum of appeal to the State Commission in person or through registered post addressed to the State Commission within a period of thirty days from the date of receipt of order of District Grievance Redressal Officer.

Procedure in Appeals.
section 15 (7)

(2) Each memorandum of appeal shall be accompanied by the certified copy of the order of the District Grievance Redressal Officer appealed against and such other documents, as may be required to support grounds of objection mentioned in the memorandum.

(3) When the appeal is presented after expiry of the period of limitation, the memorandum shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the fact on which the appellant relies to satisfy the State Commission that he has sufficient cause for not preferring the appeal within the period of limitation.

(4) On the date of hearing or any other day to which hearing may be adjourned, it shall be obligatory for the parties or their authorized agents to appear before the State Commission. If appellant or his authorized agent fails to appear on such date, the State Commission may, in its discretion, either dismiss the appeal or decide it on the merit of the case. If respondent or his authorized agents fails to appear on such date, the State Commission shall proceed ex-parte and shall decide the appeal ex-parte on the merits of the case.

(5) The appellant shall not, except by leave of the State Commission, urge or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum but the State Commission, in deciding the appeal, shall not confine to the grounds of objection set forth in the memorandum or taken by the leave of the State Commission under this rule:

Provided that the commission shall not rest its decision on any other ground unless the party who may be affected thereby, has been given, at least one opportunity of being heard by the State Commission.

**12.** The State Commission shall maintain all the records, including the appeals and records related to their disposal.

Maintenance of records.
section 16

**13.** The stamps and logo of the State Commission shall be as specified by the State Government.

Stamps and Logo.
section 16

**14.** The State Commission shall submit annual report to the State Government. The Administrative Secretary of the Department shall review the functioning of State Commission at regular intervals.

Review and Monitering.
section 16

**15. Records relating to Targeted Public Distribution System –**

Conduct of Social audit.
sections 27 and 28

(i) All the lists of the eligible beneficiaries and the allocation of food grains in the State shall be regularly updated by the department on its website;

(ii) The department shall get the social audit in rural and urban area on the functioning of Fair Price Shops and Targeted Public Distribution System twice in a year, by the concerned Gram Panchayat by constituting a Committee consisting of five Members out of which atleast one shall belong to Scheduled Caste, one Backward Class and one woman. The Committee in urban area shall likewise be constituted by concerned Municipal Council/ Committee/ Corporation.

**16.** The composition of the Vigilance Committees at the State, District, Block and Fair Price Shop levels shall be as per Schedule-III.

## SCHEDULE-I

*[see rule 3(1)]*

## ELIGIBLITY CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF PRIORITY HOUSEHOLDS UNDER NATIONAL FOOD SECURITY ACT, 2013

| Sr. No. | Rural Areas | Urban Areas |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | The Antyodaya Anna Yojana (AAY) households would be automatically covered as per the existing scheme of the Government of India. | The Antyodaya Anna Yojana (AAY) households would be automatically covered as per the existing scheme of the Government of India. |
| 2 | All Below Poverty Line (BPL) households would be automatically covered under Priority Households. | All Below Poverty Line (BPL) households would be automatically covered under priority households. |
| 3 | All homeless households | All households living in katcha houses or all homeless households. |
| 4 | Households where Head of the family is a disabled person. | Households where Head of the family is disabled person. |
| 5 | All households headed by a widow or single women (unmarried/ separated/ deserted) | All households headed by a widow or single women (unmarried/ separated/ deserted) |
| 6 | All households of landless agricultural laborers. | Occupationally vulnerable households where the main source of income is from one or more of these occupations like: {except Government. employees/ contractual /work charged / daily wagers of Government of India, State Governments and Union Territories or Boards /Corporations / Enterprises/ undertakings, other Autonomous bodies/ Authorities like Universities etc., Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees, Improvement Trusts etc.}<br>• Rag-pickers<br>• Beggars<br>• Domestic workers<br>• Street vendors/ cobblers/ hawkers/ other service provider working on streets<br>• Construction workers /plumber/ mason/ labour/ painters/ welders/ security guards/coolies/ head-load workers<br>• Sweepers/sanitation workers/malis<br>• Home-based workers/ artisan/ handicrafts workers/ tailors<br>• Private transport workers/ drivers/ conductors/ helpers to drivers and conductors/ cart pullers/rickshaw pullers etc.<br>• Shop workers/Assistants/ Peons in small establishments/ helpers/ delivery Assistants/ Attendants/ waiters<br>• Electricians/mechanics/assemblers/ repair workers<br>• Washer men/ chowkidars<br>• Person having no income from any source<br>Others, as may be specified by the State or Central Government |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | All households of small and marginal farmers owning land upto two acres. | |
| 8 | Occupationally vulnerable households where the main source of income is from one or more of these occupations:-<br>• Cultivation<br>• Manual casual labour<br>• Part-time or full-time domestic service<br>• Foraging, rag picking<br>• Non-agricultural Own Account Enterprise<br>• Begging/Charity/Alms collection<br>• Others, as may be specified by the State or Central Government | |
| | **Except the following:** | **Except the following:** |
| 1 | All income tax payers | All income tax payers |
| 2 | All Goods and Service Tax assesses registered under Goods and Service Tax Act, 2017 (Haryana Act 19 of 2017) | All Goods and Service Tax assesses registered under the Haryana Goods and Service Tax Act, 2017 (Haryana Act 19 of 2017) |
| 3 | All Service Tax payers | All Service Tax payers |
| 4 | All Professional tax payers | All Professional tax payers |
| 5 | Any household having more than two acres of land of any type. | Any household owning a house built on a plot area of more than hundred square yards. |
| 6 | Any household owning motorized four wheeler | Any household owning Air Conditioner or motorized four wheeler. |
| 7 | Any household which owns/operates an enterprise(s) registered with the State Government/Central Government. | All employees of Government of India, State Governments and Union Territories or its boards/corporations / enterprises/ undertakings, other Autonomous bodies/ Authorities such as Universities etc., Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees, Improvement Trusts etc. |
| 8 | Any household which owns mechanized four wheeler agricultural equipment(s) | Any household having annual income of more than one lakh rupees from all the sources. |
| 9 | All employees of Government of India, State Governments and Union Territories or its boards /corporations / enterprises /undertakings, other Autonomous bodies/ Authorities such as Universities etc., Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees, Improvement Trusts etc. | Any other households, which may be excluded as per criteria, as prescribed by the State Government/ Central Government. |
| 10 | Any household having annual income of more than one lakh rupees from all the sources. | |
| 11 | Any such other households, which may be excluded as per criteria, as prescribed by the State or Central Government. | |

## SCHEDULE-II

*(see rule 3(2))*

**Self Declaration form for inclusion in the Priority Household list**

**National Food Security Act, 2013**

**(FOR RURAL AREA)**

A declaration form which is to be given by the Head of the family for inclusion of the family in the Priority Household families in the State of Haryana under Public Distribution System .

I……………………………S/D/W of Sh./Smt…………………resident of ……………………..declare in the best of my knowledge that :-

(i) I or my any family members is not the Tax payer.

(ii) I or my any family members is not the registered assessee Tax payer under the Haryana Goods and Service Tax Act, 2017 (Haryana Act 19 of 2017).

(iii) I or my any family members is not the Service Tax payer.

(iv) I or my any family members is not the Commercial Tax payer.

(v) I or my any family members does not own more than two acres of land.

(vi) I or my any family members does not own the four wheeler vehicles (like Car, Van, Four Wheeler, Truck, etc.)

(vii) I or my any family members does not own any registered firm under Government.

(viii) I or my any family members is not an employee under Union Territory/State/Centre Government or Council/Cooperation/ firm/Undertaking etc., Independent entity like University etc., Municipal Corporation/Municipal Council/Municipal Committee or Improvement Trust.

(ix) I or my any family members does not earn more than one Lakh rupees per annum.

I hereby declare that all the facts given above are based on best of my knowledge and nothing has been concealed. If any of the above facts found to be false, I shall be responsible for any legal action. I also declare that I shall be liable to return the market value of the product/assistance along with the fine/interest decided by the competent authority. In future, if I or any of my family members become ineligible as per the parameters set by the Government, I shall be bound to inform the District Food and Supplies Controller, in time and shall not receive any benefit given under such Schemes.

Place : ……………………………. Signatures…………………………

Date :……..……………………… Name………………………………

**(FOR URBAN AREA)**

A declaration form which is to be given by the Head of the family for inclusion of the family in the priority household families in the State of Haryana under Public Distribution System.

I………………………………S/D/W of Sh./Smt………………….resident of ……………………..declare in the best of my knowledge that :-

(i) I or my any family members is not the Tax payer.

(ii) I or my any family members is not the registered assessee Tax payer under the Haryana Goods and Service Tax Act, 2017 (Haryana Act 19 of 2017).

(iii) I or my any family members is not the Service Tax payer.

(iv) I or my any family members is not the Commercial Tax payer.

(v) I or my any family members does not own more than two acres of land.

(vi) I or my any family members neither own any house which is build on one hundred square yard plot/flat or more area under Municipal Corporation or Municipal Council.

(vii) I or my any family members does not own any Air Conditioner (A.C).

(viii) I or my any family members does not own the four wheeler vehicles (like Car, Van, Four Wheeler, Truck, etc.)

(ix) I or my any family members is not an employee under Union Territory/State/Centre Government or Council/Cooperation/ firm/Undertaking etc., Independent entity like University etc., Municipal Corporation/Municipal Council/Municipal Committee or Improvement Trust.

(x) I or my any family members does not earn more than one Lakh rupees per annum.

I hereby declare that all the facts given above are based on best of my knowledge and nothing has been concealed. If any of the above facts found to be false, I shall be responsible for any legal action. I also declare that I shall be liable to return the market value of the product/assistance along with the fine/interest decided by the competent authority. In future, if I or any of my family members become ineligible as per the parameters set by the Government, I shall be bound to inform the District Food and Supplies Controller, in time and shall not receive any benefit given under such Schemes.

Place : …………………………….                Signatures…………………………

Date : ……..………………………                Name………………………………

**SCHEDULE-III**

**Composition of Vigilance Committees**

*(see rule 16)*

**(i) VILLAGE/WARD LEVEL VIGILANCE COMMITTEE**

| Serial Number | Rural | Serial Number | Urban |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarpanch - Chairperson | 1 | MunicipalCouncilor,-Chairperson (The Area Concerned) |
| 2 | Scheduled Caste Panch - Member<br>(if Sarpanch of Scheduled Caste Category then Panch of other Caste) | | |
| 3 | One Male and One female –Member Beneficiaries<br>(one widow and one disabled Other Priority Household Category) | 2 | One Male and One female – Member Beneficiaries<br>(one widow and one disabled Other Priority Household Category) |
| 4 | One Male and One female – Member Beneficiaries BC Category<br>(One Below Poverty Line and One Antyodaya Anna Yojana) | 3 | One Male and One female – Member Beneficiaries Backward Class Category<br>(One Below Poverty Line and One Antyodaya Anna Yojana) |
| 5 | One Male and One female – Member Beneficiaries Scheduled Caste Category<br>(One Below Poverty Line and One Antyodaya Anna Yojana) | 4 | One Male and One female –Member Beneficiaries Scheduled Caste Category<br>(One Below Poverty Line and One Antyodaya Anna Yojana) |

**(ii) BLOCK LEVEL COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Elected Head of Block Samiti | Chairperson |
| 2. | One Male and One female Beneficiaries, (One Antyodaya Anna Yojana and One Below Poverty Line) (Nominated by District Food and Supplies Controller) | Member |
| 3. | One Male and One female Beneficiaries (One disabled and One widow, OPH Category) (Nominated by District Food and Supplies Controller) | Member |
| 4. | One General and One Scheduled Caste Out of two one be female Member (Nominated by District Food and Supplies Controller) | Member |
| 5. | Representative of the System Integrator (e-Point of Sale Machine) | Member |
| 6. | Assistant Food and Supplies Officer | Member-Secretary |
| 7. | Block Development and Panchayat Officer | Special Invitee Member |

**(iii) DISTRICT LEVEL COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Deputy Commissioner | Chairperson |
| 2. | Additional Deputy Commissioner | Member |
| 3. | Two Sarpanches (Nominated by Deputy Commissioner | Member |
| 4. | Two Municipal Councilors from different Blocks (Nominated by Deputy Commissioner) | Member |
| 5. | Seven Ration Card Holders (at least three women) Nominated by District Food and Supplies Controller.) Each from different block/town (At least one widow and one disabled, 2-Other Priority Household/2-Aantodya Ann Yojna/1-Below Poverty Line) | Member |
| 6. | NGO working for Consumer Affairs (Nominated by District Food and Supplies Controller) | Member |
| 7. | Male and Female Social Worker (One each) (Nominated by District Food and Supplies Controller) | Member |
| 8. | Representative of the System Integrator (e-Point of Sale Machine) | Member |
| 9. | District Manager, Confed | Member |
| 10. | District Food and Supplies Controller | Member-Secretary |

**STATE LEVEL VIGILANCE COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister, Government of Haryana. | Chairperson |
| 2. | Principal Secretary to Government Haryana, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department. | Member |
| 3. | Principal Secretary to Government Haryana, Women and Child Development Department. | Member |
| 4. | Principal Secretary to Government Haryana, Rural Development Department. | Member |
| 5. | Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department. | Member |
| 6. | Principal Secretary to Government Haryana, School Education Department. | Member |
| 7. | Director General, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department. | Member-Secretary |

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Chandigarh.

55808—C.S.—H.G.P., Chd.